

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-01/3/2017

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (3) 30-6/2013 श्र०सं० 282/बिहार श्रम सेवा (तकनीकी) के मूल कोटि वाषिष्ठ निरीक्षक, पे-बैंड ₹ 9,300-34,800/-, ग्रेड पे ₹ 4,800/- के पदाधिकारी श्री कैलाश प्रसाद सिंह को मुख्य वाषिष्ठ निरीक्षक, पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/- में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति देते हुए मुख्य वाषिष्ठ निरीक्षक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

3. उक्त दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी) सं० 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

K. K. Prasad
1/3/17
(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (3) 30-6/2013 श्र०सं० 282/पटना-15, दिनांक-01/3/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/बिहार श्रम सेवा, (सामान्य एवं तकनीकी) संवर्ग के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

K. K. Prasad
1/3/17
सरकार के उप सचिव